कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

क्रमांक / जनस्वा.वि. / 2026 / 4185

भिलाई, दिनांक 27/7/2026

–0: रुचि की अभिव्यक्ति :0–

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत 02 नग सार्वजनिक शौचालय को 15 वर्षो तक पे एंड यूज के तहत संचालन–संधारण कार्य हेतु अशासकीय संस्थानों (एन.जी.ओ.), फर्म से निर्धारित शर्तो की अहर्ता रखते हो तो सील बंद लिफाफा रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आफर दर दिनांक .17.08.2026 को समय 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त आफर दिनांक 18.08.2026 को स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) के कक्ष में 11:00 बजे खोली जावेगी।

कार्य की नियम शर्त अन्य दस्तावेज नगर निगम भिलाई के जन स्वास्थ्य विभाग में आवेदन के साथ आवेदन शुल्क रु. 1500.00 जमा कर दिनांक 10.08.2026 को शाम 5:30 बजे तक प्राप्त कर सकते है। अन्य जानकारी नियम शर्ते नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा www.uad.cg.gov.in में देखी जा सकती है।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित सार्वजनिक शौचालय को पे एंड यूज के अन्तर्गत संचालन के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति की नियम शर्तें:–

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिनांक .... को दोपहर 3.00 बजे तक जन स्वास्थ्य विभाग नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेंगे। निर्धारित शुल्क 1000.00 रूपये जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. निविदा दो लिफाफा पद्वति में आमंत्रित है। लिफाफा अ में धरोहर राशि स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई एवं निविदादाता के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी. आर. प्रस्तुत करना होगा। जिसकी अनुपलब्धता में निविदा नहीं खोली जावेगी।
3. सार्वजनिक शौचालयों की प्रतिदिन 3 बार साफ–सफाई कार्य किया जाना अति आवश्यक है। प्रथमतः प्रातः 5.00 बजे सफाई कार्य के दौरान आधे घंटे शौचालय बंद रहेगा।
4. उक्त सार्वजनिक शौचालय को पे एंड यूज के अंतर्गत संचालित करना होगा, निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. विद्युत देयक का मासिक भुगतान निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
6. विद्युत उपकरणों जैसे ट्यूब लाईट, सोडियम लेम्प इत्यादि की सुरक्षा का दायित्व निविदाकार का होगा। शौचालय की देखरेख और शौचालय में होने वाले छोटे मोटे टूट–फूट का संधारण तत्काल निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
7. सेप्टिक टैंक भरने की स्थिति में रिक्त कराने की जिम्मेदारी निगम की होगी।
8. समिति/संस्था को निगम से 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।
10. प्रथमतः अनुबंध की अवधि 15 वर्ष की होगी, कार्य संतोषप्रद होने पर कार्यादेश में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जायेगी।
11. निविदा के साथ तीनों शौचालय की अमानती राशि रु. 15,000.00 (राशि रु. पन्द्रह हजार) मात्र का एफ.डी.आर के रूप में जमा कराना होगा।
12. अशासकीय संगठन, एजेंसी, फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत कम से कम 15 वर्ष से पंजीकृत हों उन्हें निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी।
13. संगठन के उद्देश्य में सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का संचालन व रख रखाव कार्यो का उल्लेख सम्मिलित हों।
14. उसी संगठन को प्राथमिकता दी जावेगी जो शौचालयों का संचालन व रख रखाव कार्यो का निष्पादन विगत 05 वर्ष से करता हों।
15. संगठन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हों।
16. यह कि सार्वजनिक सुलभ शौचालय प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक जन सामान्य के उपयोग के लिये नियमित रूप से खुला रहेगा। नागरिकों की पूर्व सूचना पर आवश्यकतानुसार रात्रि के समय भी खोला जावेगा। जो कि सूचना पटल पर अंकित रहेगा तथा प्रत्येक शौचालय पर शौचालय देखभाल कर्त्ता का नाम, संचालक का नाम, सफाई सामाग्री का विवरण इत्यादि सूचना पटल पर अंकित रहना अनिवार्य है।

......2

17. निरीक्षण दौरान यदि किसी शौचालय में केयर टेकर, सफाई कामगार अनुपस्थित पाया जाता है तथा सफाई व्यवस्था में कमियॉ पायी जाती है तो निविदाकार को अर्थदण्ड आयुक्त महोदय की अनुमति अनुसार किया जावेगा । लगातार निविदा नियम शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी एवं निविदा में जमा निविदा अमानत राशि को राजसात किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
18. यह कि शौचालय में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान, सफाई सामाग्री जैसे– ब्लीचिंग पावडर, फिनायल, एसिड, कीटनाशक दवाईयॉ आदि निविदाकार द्वारा अपने व्यय से किया जावेगा।
19. निविदाकार को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
20. निविदाकार को निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. निविदाकार को समिति का पेन कार्ड, अध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड एवं समिति/एजेंसी होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति निगम में जमा करना अनिवार्य होगा।
22. निविदाकार को शौचालय में एक शिकायत पंजी रखना जिसमें क्षेत्र के नागरिकों को शिकायत होने पर दर्ज कर उसका निराकरण कर कार्यालय को अवगत कराने का दायित्व निविदाकार का होगा। ,

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई